सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर (राज0)

अधिकारी – श्री दामोदर सिंह आर.ए.एस.

दावा संख्या – 62/2020

शंकर, रामदयाल } पुत्रगण स्व0 श्री कंगली जाति जाटव निवासी बाघई तहसील व जिला भरतपुर राज0।

––––– वादीगण

बनाम

सुक्खा, पन्नालाल उर्फ पन्ना } दोहित्रा मलोदा उर्फ मतोया जाति कोली निवासी वार्ड न0 2 भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर राज0।

–––– प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री प्रमोद कुमार उपमन
अभिभाषक वादीगण
दिनांक – 28.01.2021

निर्णय

1. वादीगण ने दिनांक 13.07.2020 को यह राजस्व दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की साविक खसरा नम्बर 422 मिन रकवा 3 बीघा 10 विस्वा ग्राम जाटोली घना तहसील भरतपुर में स्थित है। वन्दोबस्त विभाग ने हाल खसरा नम्बर 602/794 रकवा 0.52 हैक्टेयर निर्मित किया गया है जो कि वर्तमान में 4 एयर कम बनाया है। वादीगण 56 एयर पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। मृतक कंगली के वादीगण दो पुत्र शंकर एवं रामदयाल है। परन्तु वादीगण ताहाल तक 3 बीघा 10 विस्वा अर्थात 56 ऐयर पर काबिज है व काश्त कर रहे है। साविक खसरा नम्बर 422 मिन रकवा 3 बीघा 10 विस्वा को वादीगण के पिता कंगली द्वारा जरिये पंजीकृत वयनामा दिनांक 13.12.71 से प्रतिवादीगण से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया, वादीगण के पिता को कानून की कोई जानकारी नहीं थी इसी कारण हल्का

उपखण्ड अधिकारी

पटवारी को वयनामा दाखिल खारिज को दे दिया परन्तु कोई भी जानकारी नहीं कि दाखिल खारिज हुआ या नहीं, परन्तु हल्का पटवारी द्वारा दाखिल खारिज नहीं किया गया, इसी दौरान वादीगण के पिता कंगली का स्वर्गवास हो गया तथा वादीगण आराजी पर विरासतन काबिज हो गये और काश्त करने लगे। परन्तु आराजी आज भी विक्रेतागण(प्रतिवादीगण) के नाम दर्ज है। जो खिलाफ कानून व मौका है जबकि आराजी विक्रय करने के बाद प्रतिवादीगण का आराजी पर कोई अधिकारी नही रहा है। इसी कारण आराजी पर आज भी इन्द्राज विक्रेतागण (प्रतिवादीगण) के नाम इन्द्राज खिलाफ कानून व मौका है जिससे वादीगण के हितो पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है। बदी वजह वादीगण आराजी में वर्तमान इन्द्राज जो प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है, को कलमजन कराकर स्वयं को मुताबिक वयनामा खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है। वर्तमान इन्द्राजो का अनुचित लाभ उठाकर आराजी को दीगर जगह विक्रय करने पर आमादा है और वादीगण की काश्त में व्यवधान करने की धमकी देते है जबकि प्रतिवादीगण को इसका कोई अधिकार प्राप्त नही है। दिनांक 28.06.20 को प्रतिवादीगण ने वादीगण को धमकी दी है कि अब आराजी उनके नाम है जिसको दीगर जगह विक्रय करेंगे और काश्त नहीं करने देगें। अगर प्रतिवादीगण अपनी इस धमकी में सफल हो गये तो वादीगण को एक असीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद से वादीगण को करा पाना संभव नहीं होगा। वादीगण ने अंत में यह निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 602/794/0.52 ग्राम जाटौली घना तहसील व जिला भरतपुर पर वर्तमान इन्द्राज कलमजन किये जाकर वादीगण को मुताबिक वयनामा दिपांक 13.12.71 के आराजी पर खातेदार कृषक घोषित किया जावे एवं स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वादीगण के कब्जे काश्त में बेजा मदाखलत मजामहत नही करें। मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे हकूक वादी पर विपरीत असर आवे।

प्रखण्ड अधिकारी
भरतपुर

आराजी खसरा नम्बर 422 मिन रकबा 3 बीघा 10 विस्वा से हाल खसरा नम्बर 602/794 रकबा 0.52 हैक्टेयर बनया गया है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2020–23 के अनुसार गत आराजी खसरा नम्बर 422 रकवा 3 बीघा 10 विस्वा प्रतिवादीगण सुक्खा व पन्नालाल नवीरान मलोदा जाति कोली निवासी भरतपुर व हिस्सा बराबर खातेदार दर्ज रिकार्ड था। इसी प्रकार हाल जमाबन्दी संख्या 2072–75 के मुताबिक हाल आराजी खसरा नम्बर 602/794 रकवा 0.52 हैक्टेयर पन्ना, सुक्खा दोहित्रा मतोया जाति कोली निवासी भरतपुर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार विक्रय किया गया गत आराजी खसरा नम्बर 422 मिन रकवा 3 बीघा 10 विस्वा हाल खसरा नम्बर 602/794 रकवा 0.52 हैक्टेयर ग्राम जाटौली घना तहसील भरतपुर आज भी प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जबकि इनके द्वारा उक्त आराजी दिनांक 13.12.1971 को जरिये बयनामा वादीगण के पिता मृतक कंगली को विक्रय कर दी गई है। उक्त सभी साक्ष्यों से दावा वादीगण प्रमाणित है एवं स्वीकार योग्य है।

अतः आज्ञा है कि –

दावा वादीगण स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा नम्बर 602/794 रकवा 0.52 हैक्टेयर, जिसका गत खसरा नम्बर 422 मिन रकवा 3 बीघा 10 विस्वा था, जो कि ग्राम जाटौली घना तहसील भरतपुर में स्थित है, से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण शंकर, रामदयाल पुत्रान कंगली जाति जाटव निवासी बाघई तहसील भरतपुर को वहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 28.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर